रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 1973/चैत्र 15, 1895
No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 1973/CHAITRA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi the 5th April, 1973

S.O. 200(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 18AA of the industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, by its Order No. S.O. 688(E)/18 AA/IDRA/72, dated the 2nd November, 1972, authorised Messrs Hindustan Steel Limited, Ranchi, (hereinafter referred to as "the authorised person") to take over the management of the Refractory Plant near Ramgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to M/s. Assam Sillimanite Limited (hereinafter referred to as the said undertaking);

And whereas the authorised person had taken over the management of the said undertaking on the 3rd November, 1972;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of refractory materials;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said act, the Central Government hereby declares that—

(a) the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force (to which the said undertaking is a party or which may be applicable to the said undertaking) immediately before the publication of this Order in the Official Gazette shall remain suspended; and

(b) all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force up to the 30th day of June, 1973.

[No. F. 25(8)/72-C.U.C]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1973

का० आ० 200 (अ)/18चख/आई०डी०आर० ए०/73.—यत: उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, अपने आदेश सं० का० आ० 688 (ई)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/72 तारीख 2 नवम्बर, 1972 द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची (जिसे इस में इसके पश्चात् "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) को मैसर्स असम सिलीमैनाइट लिमिटेड के (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में रामगढ़ के निकट उच्चता पसह संयंत्र का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और यत: प्राधिकृत व्यक्ति ने 3 नवम्बर, 1972 को उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया था;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उच्चतापसह सामग्रियों के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह घोषणा करती है कि—

(क) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी भी संविदा, सम्पत्ति का हस्तान्तरण-पत्र, करार, व्यवस्थापन, पंचाट या अन्य लिखित (जिसका उक्त उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम को लागू हो) का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा; और

(ख) उक्त तारीख के पूर्व उन के अधीन प्रादुर्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलम्बित रहेंगे।

2. यह आदेश 1973 के जून के 30 वें दिन तक प्रवृत्त रहेगा।

[सं० फा० 25(8)/72-सी०यू०सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973